

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 230602 पटना, दिनांक 08.05.2015

ग्रा0वि0 अनु0को0- 78/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,  
सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग,  
प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग,  
प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग,  
प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग,  
प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग,  
प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,  
प्रधान सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग,  
प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,  
प्रधान सचिव/सचिव, उर्जा विभाग,  
प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग,  
प्रधान सचिव/सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग,  
प्रधान सचिव/सचिव, अनु0 सु0 जाति कल्याण विभाग,  
प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग,  
प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग,  
प्रधान सचिव/सचिव, अल्प संख्यक कल्याण विभाग,  
कार्यपालक निदेशक, निदान,  
कार्यपालक निदेशक, प्रदान ।

विषय:- सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में भाग लेने के संबंध में ।

प्रसंग:- ग्रामीण विकास विभाग का कार्यालय आदेश संख्या- 226293 दिनांक- 31.03.2015 ।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है । उक्त समिति की बैठक दिनांक- 20.05.2015 को 05.00 बजे अप0 से मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई है ।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय ।

अनु0- यथोक्त ।


विश्वासभाजन

  
(प्रदीप कुमार) 7/5/15  
सचिव

जापांक 230602 पटना, दिनांक 08.05.2015

ग्रा0वि0 अनु0को0- 78/2014

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
सचिव 7/5/15

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण विकास विभाग**

**कार्यालय आदेश**

का0आ0सं0 ग्रा0वि0- अनु0को0- 78/2014 (पार्ट- 1) 226293/ग्रा0वि0,पटना दिनांक 31/03/2015


सांसद आदर्श ग्राम योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका 12 (ग) में दिये गये प्रावधान के अनुसार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं एवं राज्यों द्वारा संचालित किये जाने वाले योजनाओं के कार्यान्वयन संरचनाओं में भिन्नता को देखते हुए राज्यस्तर पर अधिकार प्राप्त समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:-

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. मुख्य सचिव  | अध्यक्ष      |
| 2. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग   | संयोजक सदस्य |
| 3. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग  | सदस्य        |
| 4. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग                                    | सदस्य        |
| 5. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग                              | सदस्य        |
| 6. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग                                  | सदस्य        |
| 7. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग  | सदस्य        |
| 8. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग   | सदस्य        |
| 9. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग                            | सदस्य        |
| 10. प्रधान सचिव, उर्जा विभाग   | सदस्य        |
| 11. प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग                            | सदस्य        |
| 12. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग   | सदस्य        |
| 13. प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग                                   | सदस्य        |
| 14. प्रधान सचिव, कृषि विभाग  | सदस्य        |
| 15. प्रधान सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग                                  | सदस्य        |
| 16. प्रधान सचिव, अनु0 सु0 जाति कल्याण विभाग                              | सदस्य        |
| 17. प्रधान सचिव, अल्प संख्यक कल्याण विभाग                                | सदस्य        |
| 18. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नामित सिविल सोसाईटी 'प्रदान' के प्रतिनिधि | सदस्य        |
| 19. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नामित सिविल सोसाईटी 'निदान' के प्रतिनिधि  | सदस्य        |




सदस्य के रूप में नामित दो सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि एक साल के लिए इस समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। कम से कम एक तिमाही में एक बार इस समिति की बैठक होगी और समिति जो कार्य करेगी, वे इस प्रकार हैं:-

- केन्द्रीय एसएजीवाई दिशा-निर्देशों के अनुपूरक और विभिन्न राज्य योजनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य विशिष्ट अनुदेश जारी करना। इसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्यस्तरों के कर्मियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियों निर्धारित की जानी चाहिए।
- निर्धारित समय-सीमाओं में प्रमुख आउटपुटों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्गमन क्षेत्रों की ग्राम विकास योजनाओं की समीक्षा करना और आवश्यक होने पर परिवर्तनों के सुझाव देना।
- कार्यान्वयन की समीक्षा करना और वेब आधारित निगरानी प्रणाली के अनुपूरक के रूप में निगरानी तंत्र निर्धारित करना।
- रुकावटों और अपेक्षित तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता का निर्धारण करना तथा समय-समय पर आवश्यक अनुदेश / सरकारी आदेश जारी करना।
- राष्ट्रीय स्तर की समितियों के साथ यथापेक्षित समन्वय करना।
- आदर्श गाँवों के प्रकटीकरण के दौरों की समय-सारणी तैयार करना और सर्वोत्तम कार्यों के प्रचार-प्रसार की राज्य योजना तैयार करना।
- इस योजना के संबंध में शिकायत निपटान तंत्र की रूपरेखा तैयार करना, जो कि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभारी अधिकारी और जिले के स्तर पर स्थापित किया जाएगा।
- यदि आवश्यक हो तो यह समिति समस्याओं का निर्धारण और समाधान करने के लिए संसद सदस्यों के छोटे समूहों से विचार-विमर्श कर सकती है।

  
31.3.15  
(प्रदीप कुमार)  
सचिव


जापांक 226293 पटना, दिनांक 31/03/2015

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
31.3.15  
सचिव


जापांक 226293 पटना, दिनांक 31/03/2015

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित संगत विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
31.3.15  
सचिव

जापांक 226293 पटना, दिनांक 31/03/2015

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

  
31.3.15  
सचिव

जापांक 226293 पटना, दिनांक 31/03/2015  
 प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।  
 सचिव 31.3.15

जापांक 226293 पटना, दिनांक 31/03/2015  
 प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।  
 सचिव 31.3.15